

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। -रोबिन शर्मा

सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और बिहार की मतदाता सूचियां

प्रा: प्रमणकारियों के एक समूह में बड़ी रोचक चर्चा च रही थी। चर्चा बिहार चुनाव से संबंधित मतदातासूचियों, चुनाव की संभावित तिथियों व सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन लोकहित याचिकाओं पर केंद्रित थी। जैसा होता है समूह में भिन्न-भिन्न मत सामने आ रहे थे।

कुछ का कहना था कि यदि 7 अक्टूबर से पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया तो फिर याचिकाओं पर कोई निर्णय नहीं होगा क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 329 के अनुसार चुनाव घोषणा के पश्चात चुनाव संबंधित किसी भी कार्यवाही को न्यायालय में विचार के लिए नहीं लिया जा सकता सिवाय कानून में प्रावधानित चुनाव याचिकाओं के जरिए अर्थात् चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे न्यायालय आदेश से रोक नहीं जा सकता। इस हिसाब से संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिकाएं भी स्वतः महत्वहीन हो जाएंगी।

इस से भिन्न मत यह था कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां सीमित नहीं हैं। वास्तविक चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाती है जब चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने की कार्यवाही शुरू हो जाती है। इस बीच यदि उच्चतम न्यायालय को लगे कि मतदाता सूचियों में व्यापक स्तर की गड़बड़ियां हैं तो ऐसी गलतियों को सुधारने के निर्देश दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम में भी आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। उद्देश्य केवल चुनाव कराने मात्र का नहीं हो सकता, उद्देश्य स्वच्छ मतदाता सूचियों के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव करने का होता है और सुप्रीम कोर्ट इस को अवश्य ध्यान में रखेगा।

एक सह प्रमणकारी ने बहस को अलग दिशा दी। उसके अनुसार मतदान संविधान के तीसरे भाग में उल्लेखित एक मूलभूत अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूलाधिकारों के हनन या लागू करवाने के संबंध में ही याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। इस प्रकार बिहार से संबंधित लोकहित याचिकाएं तो चलने योग्य ही नहीं।

साथ चलने वालों में से एक में कहा कि मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय के पहले ही अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को देश के कानून का बराबर संरक्षण उपलब्ध है, केवल नागरिकों को ही नहीं। मूल अधिकारों के शेष अनुच्छेदों में ही नागरिक शब्द उल्लेखित हुआ है किंतु अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति का उल्लेख है।

स्वच्छ मतदान के जरिए एक उत्तरदाई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार बने यह हमारे संविधान का मूल ढांचा है (basic structure), हर नागरिक का यह मूल अधिकार है। उसके अनुसार यह अधिकार के मूल अधिकार का विस्तार ही तो है। अंतर केवल यह है कि संविधान में उल्लेखित कुछ अपवादों जैसे पागल न हो, घोषित दिवालिया न हो आदि को छोड़कर समस्त वयस्क नागरिकों को, समाज रूप से, यह अधिकार है।

मतदाता को स्वच्छ सरकार मिले इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही उम्मीदवारों के लिए यह लाभनी किया है कि वे अपनी संपत्ति, अपराधिक रिपोर्टों को सार्वजनिक करें, चुनाव के लिए प्राप्त धन का सही ब्यौटा दें। मतदाता अधिकार मात्र एक मत डालने का नहीं है, यह लोकतांत्रिक सरकार के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को धन देने की योजना, लोक हित याचिका के जरिए ही निरस्त की थी और प्राप्त चुनावी चंटे की राशि और स्रोतों की जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश दिए।

लेखक की राय में मतदान, संविधान में विहित प्रतिबंधों के साथ अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का ही विस्तार है। इस की अभिव्यक्ति के जरिए ही लोकतांत्रिक सरकार का चयन होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बिना लोकतांत्रिक सरकार का गठन असंभव है तो फिर मतदान का अधिकार अन्य मूल अधिकारों से कमतर कैसे??? इसलिए बिहार SIR के संबंध में दायर याचिकाएं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है सुनी जाने के योग्य है।

अब अंत में बिहार SIR पर विचार करें। संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा? मान लें कि 2,4,5 मौजूज व्यक्तियों, पटवारी, अध्यापक आदि से बात करके इस नतीजे पर पहुंचता है कि मामला संदेहास्पद है तो वह तो संदेहास्पद लिख देगा किंतु इसके आगे निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारी (ERO) या जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे मामलों का निपटारा कैसे करेगा???

संविधान के अनुसार तो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है इसका निर्णय करने का अधिकार केवल व केवल केंद्र सरकार को है? एक रास्ता तो यह नजर आता है कि केंद्र सरकार ERO या जिला मजिस्ट्रेट को नागरिकता तय करने का अधिकार दे। इसके भी पहले व्यवहारिक बात तो यह प्रतीत होती है कि केंद्र सरकार ऐसी जांच कर ऐसे व्यक्तियों को डिटेन्शन सेंटर्स में स्थानांतरित करे, उन्हें उनके संबंधित देश से बात कर के उन्हें उनके देश में भिजवाए। क्या यह प्रक्रिया 2,4,5,10 दिन या 1,2 महीने में निपटने वाली लगती है??

इसलिए चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह स्पष्ट करे कि यदि इस प्रकार के मामलों BLO ने ड्राफ्ट सूची में दे रखे हैं तो उनका निस्तारण कैसे किया???

-अतिथि सम्पादक, महावीर सिंह, आई.ए.एस. (से.नि.)

कार्तिक पुष्कर मेला, रेगिस्तान का जहाज और ऊंट संरक्षण की दरकार



डॉ. सुबोध अग्रवाल

राजस्थान का सबसे खास सांस्कृतिक मेला, पुष्कर मेला, अब बस कुछ ही दिन दूर रह गया है। जब रेगिस्तान में सुनहरें रेत के धोरों के पीछे सूर्य अपनी दिन की यात्रा पूरी कर छिपता है तब हवा में गुंजते लोकगीतों के बीच मेले की पहचान एक और तस्वीर उभरती है और वह तस्वीर होती है रेगिस्तान के जहाज ऊंट की। मोरे के पंखों और छोटे-छोटे कर्टिंग वाले शीशों से सजाए गए ऊंट और रंग-बिरंगी पगड़ी पहने सजे-धजे ऊंट के मालिक पुष्कर मेले की अलग ही छटा बिखेरते दिखते हैं। देसी-विदेशी पावकों के बीच रंगीन पहनावा में ऊंट पालक और सजे धजे ऊंट रेत के धोरों को और भी

खूबसूरत बना देते हैं। कार्तिक पुष्कर मेले की ऊंट रौणक है तो मेले की जीवंतता भी ऊंटों की उपस्थिति से ही बनती है।

ऊंट कई सदियों से रेगिस्तान की जान रहा है। रेगिस्तान की संस्कृति में रचा-बसा रहा है ऊंट। आवागमन का माध्यम, व्यापार का साधन, घुमंतु लोगों का साथी और पुष्कर का सितारा। लेकिन, अब इनकी संख्या कम हो रही है। साल 2012 में राजस्थान में ऊंटों की संख्या 3 लाख 26 हजार थी, जो साल 2019 आते-आते घटकर 2 लाख 12 हजार रह गई (पशुधन जनगणना)। इसके कारण कई रहे हैं उनमें से कुछ घटते और विकसित चरागाह, आवागमन के आधुनिक साधनों की सख्त उपलब्धता, मशीनीकरण और कम कमाई की वजह से ऊंट पालने वाले निराश हो गए हैं। इसके अलावा एक और अन्य प्रमुख कारण ऊंटों की तस्करी भी है। आज पुष्कर मेले में ऊंटों की संख्या घोटों से कम होती जा रही है। यह उन देसी-विदेशी पर्यटकों के लिए निराशाजनक है जो ऊंट को रेगिस्तान का असली प्रतीक मानते आए हैं। राजस्थान और

यहां के लोगों के लिए भी यह अपने आप में गंभीर है।

ऐसा नहीं है कि ऊंटों की घटती संख्या से गंभीर ना हो। यह भी साफ हो जाना चाहिए कि कमी का मतलब खत्म होना नहीं है। ऊंट का दूध, जिसे अब सुपरफूड माना जाता है, 80-100 रुपये प्रति लीटर बिकता है और यह दुनिया भर में बिक रहा है। सरकारी गैरसरकारी पहल से सहकारी समितियां और डेयरी कंपनियां ऊंट के दूध और सह उत्पादों से नई कमाई के अवसर पैदा कर रही हैं। पर्यटन भी बदल रहा है और ऊंट सफारी आकर्षण का केन्द्र बनती जा रही है। इको-सफारी, सांस्कृतिक यात्राएं और रेगिस्तानी अनुभव उन्तों को फिर से मुख्य आकर्षण बना रहे हैं।

संस्थागत मदद जरूरी- आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, बीकानेर, जो 1984 में स्थापित हुआ था। इसे 1995 में अपटोड किया गया है और ऊंटों की सेहत, प्रजनन और वैक्यू-एडेड प्रोडक्ट दूध पाउडर और आइसक्रीम से लेकर नई डायनेमिस्टिक किट तक के क्षेत्र में अठायी काम कर रहा है। इससे ऊंट ऊंट पालकों के लिए बोझ बनने की जगह आय का साधन बनने लगे

प्रवासी दृष्टि: समाज, संस्कृति और सोच



डॉ. पंकज राजवंशी

तटस्थता की कौमंत कभी-कभी लगता है कि हम सब एक अजीब-से मंच पर खड़े हैं। कुछ के पास माइक है, कुछ बस दर्शक हैं, और कुछ तो इतने पीछे हैं कि मंच तक उनकी परछाईयां भी नहीं पहुंचतीं। और इस मंच पर सबसे ज्यादा शोर किसका है? अक्सर उनका, जिनके पास माइक भी है, मंच भी है, और अभ्यास भी। लेकिन सवाल ये है, क्या आवाज का अधिकार मंच से तय होता है या अनुभव से? क्या किसी विषय पर सोचने, लिखने और बोलने के लिए सिर्फ पीड़ा ही पासपोर्ट है? या फिर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी भी कुछ मायने रखती है?

आजकल के विमर्शों में यह सवाल लगभग रोज उठता है। कुछ खास विषय जैसे दलित अनुभव, स्त्री संघर्ष, आदिवासी जीवन, जिन पर लिखने से पहले यह साबित करना पड़ता है कि आप वह जीवन जी चुके हैं। अगर नहीं, तो फिर बोलने का हक कहाँ से आता है? यह सवाल मुझे खटकता है, और ईमानदारी से कहूँ तो डरता भी है। क्या अनुभवहीनता संवेदन शून्यता की गारंटी है? और क्या किसी वर्ग, जाति या पहचान से बाहर होना किसी मुद्दे को समझने में असमर्थ बना देता है?

माना कि पीड़ा की गहराई वही समझ सकता है जो उसे जीता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बाकी सब चुप रहें? अगर हाँ, तो फिर साहित्य, शोध और सामाजिक विज्ञान के 90 प्रतिशत हिस्से को हम कैसे जायज उद्धारेंगे? क्या कल्पना, करुणा और विवेक भी अब लाइसेंस से मिलेंगे? यह सवाल मेरे लिए सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। यह व्यक्तिगत भी है। मैं एक प्रवासी भारतीय हूँ। तीन दशक से ज्यादा समय से अमेरिका में रह रहा हूँ। मेरे पास स्थायित्व है, सुविधाएँ हैं, और निश्चित ही विशेषाधिकार है। लेकिन क्या इसी विशेषाधिकार के कारण मैं उन चीजों पर नहीं बोल सकता जो मेरे देश में घट रही हैं? या उन पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि वे अपने मंच को दूसरों की आवाज बनने के लिए इस्तेमाल करें?

यहाँ पर नैतिकता और विशेषाधिकार टकराते हैं। अगर आप किसी मंच पर हैं और आपके पास माइक है, तो क्या आप उसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी और की बात कहने के लिए भी थोड़ा हटकर खड़े होते हैं? यह एक बहुत महीन फर्क है। और इसी फर्क से तय होता है कि आप 'छद्म बुद्धिजीवी' हैं या सच कहूँ तो कई बार मैं खुद भी

असमंजस में रहता हूँ। क्या मेरी संवेदनशीलता सिर्फ एक आरामदेह बौद्धिक मुद्रा है? क्या मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठकर बदलाव की बात करने वाला 'आर्मचेयर एक्टिविस्ट' हूँ? शायद हूँ। लेकिन क्या यह कुर्सी मुझे सोचने से रोकती है? या फिर यही कुर्सी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है?

मैं एक चिकित्सक हूँ। मेरी समझ, मेरी दृष्टि, मेरे प्रश्न, ये सब मेरी पेशेवर यात्रा का हिस्सा हैं। जब मैं देखता हूँ कि कोई परिवार दिनभर काम करता है ताकि दो वक्त की रोटी मिल सके, तो मुझे मेस्तो का ज़रूरतों का सिद्धांत याद आता है। पहले पेट भरेगा, फिर सोच खुलेगा। जब कोई प्रवासी मजदूर किराए और बच्चों की पढ़ाई के तनाव में डूबा होता है, तो मस्तिष्क की सोचने की क्षमता भी सीमित हो जाती है। ऐसे में विचारधारा की बातें लगजरी जैसी लगती हैं। लेकिन क्या इसका अर्थ है कि सोचने और कहने का काम सिर्फ वही करें जो पीड़ा में नहीं है? या फिर उन पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि वे अपने मंच को दूसरों की आवाज बनने के लिए इस्तेमाल करें?

यहाँ पर नैतिकता और विशेषाधिकार टकराते हैं। अगर आप किसी मंच पर हैं और आपके पास माइक है, तो क्या आप उसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी और की बात कहने के लिए भी थोड़ा हटकर खड़े होते हैं? यह एक बहुत महीन फर्क है। और इसी फर्क से तय होता है कि आप 'छद्म बुद्धिजीवी' हैं या सच कहूँ तो कई बार मैं खुद भी

के माध्यम से सिर्फ ऊंट पशु तक सीमित ना रहकर इससे जुड़ी संस्कृति और लोगों की आजीविका का जखन मनाया गया।

रेगिस्तानी संस्कृति की पहचान ऊंट रेगिस्तान की जान है। आज रेगिस्तानी धोरों की सफारी का नया दौर आया है। इस सफारी में वाहनों के स्थान पर ऊंट सफारी के रूप में ही आगे बढ़ाया जाए तो ऊंट और इससे जुड़ी गौरवपूर्ण संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही राजस्थान में ऊंटों को डेयरी, हस्तशिल्प और टिकाऊ पर्यटन जैसे उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों से जोड़ जाना चाहिए। सकारात्मक सोच, सही नीति, नवाचार और गर्व के मिश्रण से, हम आजीविका की रक्षा कर सकते हैं और विरासत को जीवित रख सकते हैं।

वैसे तो ऊंट के बिना रेगिस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती ठीक उसी प्रकार कार्तिक पुष्कर मेला रंग बिरंगे सजे धजे ऊंट और ऊंट के करतबों, विभिन्न प्रतियोगिताओं के बिना अधूरा है।

-डॉ. सुबोध अग्रवाल, (आईएएस), अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार तो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है इसका निर्णय करने का अधिकार केवल व केवल केंद्र सरकार को है? एक रास्ता तो यह नजर आता है कि केंद्र सरकार ERO या जिला मजिस्ट्रेट को नागरिकता तय करने का अधिकार दे। इसके भी पहले व्यवहारिक बात तो यह प्रतीत होती है कि केंद्र सरकार ऐसी जांच कर ऐसे व्यक्तियों को डिटेन्शन सेंटर्स में स्थानांतरित करे, उन्हें उनके संबंधित देश से बात कर के उन्हें उनके देश में भिजवाए। क्या यह प्रक्रिया 2,4,5,10 दिन या 1,2 महीने में निपटने वाली लगती है??

इसलिए चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह स्पष्ट करे कि यदि इस प्रकार के मामलों BLO ने ड्राफ्ट सूची में दे रखे हैं तो उनका निस्तारण कैसे किया???

-अतिथि सम्पादक, महावीर सिंह, आई.ए.एस. (से.नि.)

ग्रामीण सेवा शिविर : हर पात्र व्यक्तियों तक पहुंचा

ग्रामीणों के लिए राहत का पर्याय साबित हुए सेवा शिविर



दयाशंकर

जयपुर। आमजन को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में आयोजित

ग्रामीण सेवा शिविरों में लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। इन शिविरों में आमजन के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रकरणों का हार्थो हाथ समाधान किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश में 17 सितम्बर से ग्राम पंचायतों में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में भूमि विभाजन, फसल बीमा, जाति प्रमाण पत्र, खाद्य सुरक्षा योजना, फसल बीमा, पशु बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीणों को उनके घर के पास देकर उन्हें राहत प्रदान की गई।

उल्लेखनीय सफलता के साक्ष्य बने ग्रामीण सेवा शिविर प्रदेश की ग्रामीण जनता के लिए राहत का पर्याय साबित हो रहे हैं। इन ग्रामीण सेवा शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा आपसी सहमति से भूमि विभाजन के 11 हजार 115 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी तरह स्वािमत्व योजना के तहत 77 हजार 408 पट्टों का वितरण किया गया। इन शिविरों में 64 हजार 934 लंबित नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण कर राजस्व रिकॉर्ड में इंटरज किया गया। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत शुद्धिकरण के 69 हजार 316 प्रकरण निस्तारित किये गए। इसी प्रकार 67 हजार 376 लंबित फार्म रजिस्ट्री पूरी की गई तथा आमजन को 90 हजार 631 मूल निवास प्रमाण पत्र एवं 1 लाख 8 हजार 992 जाति प्रमाण पत्र बनाकर जारी किए गए।

प्रदेश में पशुपालन एवं कृषि की राह प्रशस्त करते हुए ग्रामीण सेवा शिविरों में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 1 लाख 10 हजार 458 पॉलिसियों तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1 लाख 20 हजार 421 पॉलिसियों का वितरण किया गया। शिविरों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 86 हजार 680 पेंशनर्स का सत्यापन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर लंबित 41 हजार 291 लंबित प्रकरण निस्तारित किये गए एवं टूलकिट/ओजार सहायता योजना में 2 हजार 608 आवेदन स्वीकृत किये गए। वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शिविरों में 42 हजार 742 नए बैंक खाते खोले गए। इसके साथ ही जनधन योजना में 43 हजार 163 आवेदनों को अपडेट किया गया।

ये ग्रामीण सेवा शिविर प्रदेश में विकास एवं विश्वास को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हुए हैं।

-दयाशंकर, सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, जयपुर

राशिफल शनिवार 4 अक्टूबर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत् 2082, धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 9:09 तक, शूल योग सायं 7:27 तक, बालव करण सायं 5:10 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरु-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज त्रिपुष्कर योग सूर्योदय से प्रातः 9:09 तक है। आज शनि प्रदोष व्रत, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:52 से 9:20 तक, चर 12:16 से 1:43 तक, लाभ-अमृत 1:43 से 4:39 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:24, सूर्यास्त 6:07

मेघ	सिंह	धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। संभावित धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।	परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बरने लगेंगे। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होगा।
वृष	कन्या	मकर
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बरने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। मनोजन पर धन खर्च हो सकता है।	व्यावसायिक कार्यों से संबंधित प्रयासों में उन्नित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।
मिथुन	तुला	कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बरने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उन्नित सोच-विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।	मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बरने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
कर्क	वृश्चिक	मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ में आ रहे। शुभ कार्यों में व्ययधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बरने कार्य बिगड़ सकते हैं।	घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। आज अगमल कार्यों में समय खराब हो सकता है।